# न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
## पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 139/2019

1. गोपाल लाल पिता देवीलाल ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
2. शिवलाल पिता स्व. मदनलाल ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
3. ओमप्रकाश पिता स्व. मदनलाल ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
4. रेखा देवी पिता स्व. मदनलाल ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
5. सम्पत देवी पिता स्व. मदनलाल ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
6. बीना देवी पिता स्व. मदनलाल ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
7. आजा देवी पिता स्व. मदनलाल ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
8. मु. पुष्पा देवी पत्नी स्व. मदनलाल ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
9. कैलाशचन्द्र पिता नन्दलाल ब्राह्मण फोत के बजाय :—
   9/1— दिनेश चन्द्र पिता कैलाशचन्द्र ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
10. सत्यदेव पिता देवीलाल ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पिता मु. मांगीलाल उर्फ माहनलाल ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
2. नन्दकिशोर पिता हीरालाल ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
3. ओमप्रकाश पिता राधेश्याम ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
4. अशोक कुमार पिता राधेश्याम ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
5. सुनिता पुत्री राधेश्याम ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
6. कला पत्नी राधेश्याम ब्राह्मण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
7. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार बेगूँ जिला चितौडगढ

विपक्षीगण

उपस्थित :— श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री विजय भारद्वाज
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक :— 13.02.2026

## आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि ग्राम धुलखेडा प.ह. बेगूँ में प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी जमाबंदी के अनुसार हक से दर्ज रिकोर्ड है जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

| खाता संख्या | आराजी नम्बर | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|
| 96 नया 91 पुराना | 281 | 0.1100 |
| | 282 | 0.2100 |
| | 283 | 0.1900 |
| | 701/281 | 0.1200 |
| | कीता—4 रकबा | 0.6300 हैक्टर |
| 222 नया 212 पुराना | 303 | 0.2200 हैक्टर |
| | कीता—1 रकबा | 0.2200 हैक्टर |

यह कि प्रार्थीगण ग्राम बेगूँ का निवासी है तथा प्रार्थीगण के गॉव से उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात पर आने जाने के लिए ग्राम धूलखेडा के ही आराजी संख्या 309, 311, 305, 270, 271, 704/279, 299 भूमि मे से होकर आराजी संख्या 281, 282, 283, 701/281, 278, 303 पर जाता है आराजीयात पर गाडी गडार का 8—12 फिट चौडा रास्ता है, जिस पर प्रार्थीगण आ जा रहे है तथा अपने कृषि उपकरण ट्रैक्टर, बैल आदि लाते ले जाते रहे है। जिसको नजरी नक्शा मे दर्शाया गया हैं।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चितौडगढ)

यह कि प्रार्थीगण विगत काफी लम्बे अर्से से इस नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते से होकर आ रहे है तथा इसी रास्ते से अपने कृषि उपकरण हल बैल कृषि उपज खाद बीज ट्रैक्टर ले जाते आ रहे है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की कृषि आराजी मौजा धुलखेडा पटवार हल्का बेगूँ का आराजी संख्या 281, 282, 283, 701/281, 278, 303 पर आने जाने का यही एक मात्र रास्ता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं है।

यह कि विगत काफी लम्बे अर्से से प्रार्थीगण उक्त वर्णित रास्ते से ही आ जा रहा है इसलिए प्रार्थी का यह सुस्थापित मार्ग है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 309, 311, 305, 270, 271, 704/279, 299 से होकर ही प्रार्थीगण की कृषि आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता स्थित है। जो प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता है जिसको 12 फीट चौडाई के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने एवं उक्त रास्ते का प्रतिकृति नियमानुसार प्रार्थीगण संदाय करने को तैयार है।

यह कि प्रार्थीगण का उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण विपक्षीगण आराजी संख्या 309, 311, 305, 270, 271, 704/279, 299 पर स्थित रास्ते से होकर प्रार्थीगण को आने जाने में कठिनाई उत्पन्न कर रहे है विपक्षीगण को प्रार्थीगण का आराजीयात में आने जाने से रोकने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है क्यो कि प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है एवं एक दूसरे की मेड पर एवं पुराने बने हुए रास्ते से होकर ही प्रार्थीगण अपने खेतो पर आने जाने के लिए रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसलिए विपक्षीगण व आराजी संख्या 309, 311, 305, 270, 271, 704/279, 299 से प्रार्थीगण का आने जाने का रास्ता कायम किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

यह कि नियमानुसार उक्त रास्ते का प्रतिकर संदाय करने के लिए प्रार्थीगण तैयार हैं।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का मौजा धुलखेडा पटवार हल्का बेगूँ की आराजी संख्या 281, 282, 283, 701/281, 278, 303 पर आने जाने के लिए आराजी संख्या 309, 311, 305, 270, 271, 704/279, 299 से होकर प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात तक पहुचने के लिए 12 फिट चौडा मार्ग को कायम किया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजय भारद्वाज ने विपक्षी संख्या 1, 2, 3 की ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए कम संख्या 4, 5, 6 की अन्डरटैकिंग ली है।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए कलम संख्या एक में वर्णित आराजी दर्ज होना स्वीकार किया है। तथा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीगण कभी पाछुन्दा के निवासी नही रहे है। प्रार्थीगण बेगूँ कस्बा के स्थायी निवासी है। ग्राम धूलखेडा की आराजी संख्या 309, 311, 305, 270, 271, 704/279, 299 भूमि मे से होकर आराजी संख्या 281, 282, 283, 701/281, 278, 303 पर कोई रास्ता नहीं जाता है न ही मौके पर कोई रास्ता विद्यमान है। उक्त आराजीयात पर आने जाने का गाडी गडार का रास्ता उत्तर दिशा में स्थित करीब 200 फीट चौडा रास्ता जो ग्राम पाछुन्दा से लगायत हास्पीटल बेगूँ तक होकर प्रार्थीगण की उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिए फाटके लगी हुई है जिसका उपयोग उपभोग कर प्रार्थीगण अपनी अपनी आराजीयात पर आते जाते है जिसका नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थीगण पाछून्दा से बेगूँ हास्पीटल जाने वाले 200 फीट चौडे रास्ते से ही आ जा रहे है एवं अपने कृषि उपकरण फसल उपज आदि ला ले जा रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की आराजीयात पर प्रार्थीगण का एक मात्र रास्ता पाछुन्दा से हास्पीटल बेगूँ जाने वाले मार्ग जो कि 200 फिट चौडा है से ही आता जाता है जबरन प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजीयात में नया रास्ता कायम करवाना चाहते है जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की आड में विपक्षीगण की आराजीयात में नया रास्ता कायम करवाना चाहते है तथा मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यो पर विपक्षीगण को परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है। उक्त कलम मे वर्णित आराजीयात मे न तो कभी प्रार्थीगण अपनी आराजी पर आये है और न ही कभी फसल उपज खाद

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

...ादि लेकर गये है। प्रार्थीगण ने मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया है ...न के पास रास्ता उपलब्ध होते हुए भी विपक्षीगण की आराजी मे नया रास्ता कायम करवाना ...हते है जिसका कोई अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है।

यहकि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार है। हम विपक्षीगण की आराजीयात में कोई रास्ता नहीं होने के बावजूद भी प्रार्थीगण नया रास्ता हमारी आराजीयात में कायम करवाना चाहते है एवं ताकत के बल पर जबरन आराजीयात मे से निकलना चाहते है न तो मौके पर कोई रास्ता विद्यमान था और न ही वर्तमान में कोई रास्ता ही है प्रार्थीगण किस रास्ते से होकर अपनी अपनी आराजीयात पर आते जाते थे स्वयं प्रमाणित करें। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 7 अस्वीकार है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पत्रावली में तहसीलदार बेगूँ से रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई थी जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 858 दिनांक 06.10.2025 के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का बेगूँ व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट पर्चा मौका व टी.आर.ए की रिपोर्ट संलग्न होकर प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की अपनी निजी खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए निकटतम रास्ता खसरा संख्या 908/260 व 275 से होकर दिलवाया जा सकता है यह रास्ता लघुत्तम मार्ग है जो रिकोर्ड में बिलानाम भूमि आराजी संख्या 247 किस्म रास्ता से लगता हुआ है इस भूमि से रास्ता दिये जाने के संबंध में विवरण निम्नानुसार हैः–

| क.सं. | आराजी संख्या | रकबा हैक्टर में | लम्बाई/चौडाई | रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा |
|---|---|---|---|---|
| 1– | 908/260 | 0.0910 | 40 गुणा 4 मी. | 160 वर्गमीटर यानि 0.0160 हैक्टर |
| 2– | 275 | 0.07 | 36 गुणा 4 मी. | 144 वर्गमीटर यानि 0.0144 हैक्टर |
| | | | योग | 30 वर्गमीटर यानि 0.0304 हैक्टर |

उक्त रास्ते में आने वाली आराजी संख्या 908/260 निजी खातेदारी की भूमि एवं आराजी संख्या 275 मन्दिर मुरलीधर जी स्थान देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं।

प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में चाहा गया रास्ता वर्तमान में आराजी संख्या 309, 311, 305 व 271 में कदीमी रास्ता मौके पर है जो निकटतम दूरी पर नहीं है। आवेदन अनुसार प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षैत्र 664 वर्गमीटर यानि 0.0664 हैक्टर है जो नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया जाकर विवरण निम्नानुसार है :–

| क.सं. | आराजी संख्या | रकबा हैक्टर में | लम्बाई/चौडाई | रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा |
|---|---|---|---|---|
| 1– | 309 | 0.15 | 44 गुणा 4 मी. | 184 वर्गमीटर यानि 0.0184 हैक्टर |
| 2– | 311 | 0.04 | 22 गुणा 4 मी. | 88 वर्गमीटर यानि 0.008 हैक्टर |
| 3– | 305 | 0.23 | 62 गुणा 4 मी. | 248 वर्गमीटर यानि 0.0248 हैक्टर |
| 4– | 271 | 0.42 | 36 गुणा 4 मी. | 144 वर्गमीटर यानि 0.0144 हैक्टर |
| | | | योगः– | 664 वर्गमीटर यानि 0.0664 हैक्टर |

उक्तानुसार बनाये गये दोनो रास्ते के प्रतिकर की गणना तहसील राजस्व लेखाकार से करवाई गई जो निम्न प्रकार से है :–

डी.एल.सी. – 1300000/–

प्रथम विकल्प हेतु रास्ता :– आराजी संख्या 309 से 184 वर्गमीटर, 311 से 88 वर्गमीटर ,305 से 248 वर्गमीटर तथा 271 मे से 144 वर्गमीटर कुल 664 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित हैः–

प्रभावित भूमि मूल्य– 1300000/– है

डी.एल.सी. का दुगना 1300000गुणा 2 – 2600000/– है या 260 रूपये वर्गमीटर

ए– वर्तमान जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 309 के प्रभावित भूमिधारको को देय राशि निम्नानुसार हैः–

कुल देय राशि 260गुणा 184 यानि 47840/–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

| आराजी संख्या | नाम खातेदार | हिस्सा | राशि |
|---|---|---|---|
| 309 | ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम ब्राह्मण | 1/4 | 11960/– |
| 309 | कलादेवी पत्नि राधेश्याम ब्राह्मण | 1/4 | 11960/– |
| 3– 309 | रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल धाकड | 1/2 | 23290/– |
| | | योगः | 47,210/– |

बी– जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 271, 311 के प्रभावित भूमिधारको को देय राशि निम्नानुसार हैः–

कुल देय राशि 260 गुणा 144+88 यानि 60320/–

| क.सं. | आराजी संख्या | नाम खातेदार | हिस्सा | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1– | 271, 311 | लक्ष्मण दत्तक पुत्र मांगीलाल ब्राह्मण | सम्पूर्ण | 60320/– |

सी– वर्तमान जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 305 के प्रभावित भूमिधारको को देय राशि निम्नानुसार हैः–

कुल देय राशि – 248 गुणा 184 यानि 64480/–

| क.सं. | आराजी संख्या | नाम खातेदार | हिस्सा | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1– | 305 | नवीन पुत्र गोपाल ब्राह्मण | 1/8 | 8060/– |
| 2– | 305 | मुरलीधर उर्फ बाबूलाल पुत्र नंदकिशोर ब्राम्हण | 1/2 | 32240/– |
| 3– | 305 | माया कुमार पुत्री गोपाल | 1/8 | 8060/– |
| 4– | 305 | लोकेश कुमार पुत्र गोपाल | 1/8 | 8060 |
| 5– | 305 | सीता देवी पत्नि गोपाल | 1/8 | 8060/– |
| | | | योगः– | 64,480/– |

कुल भुगतान की राशि 172,010/–

द्वितीय विकल्प अनुसार रास्ता

आराजी संख्या 908/260 मे से 160 वर्गमीटर तथा आराजी संख्या 275 मे से 144 वर्गमीटर कुल 304 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित हैः–

260गुणा 160 – 41600/–

ए– वर्तमान जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 908/260 के कृषको को देय मुआवजा राशि निम्नानुसार है :–

| क.सं. | आराजी संख्या | नाम खातेदार | हिस्सा | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1– | 908/260 | जगदीश चन्द्र पुत्र चतर्भुज ब्राह्मण | 1/8 | 5200 |
| 2– | –''– | नन्दुबाई पत्नि चतर्भुज ब्राह्मण | 1/8 | 5200 |
| 3– | –''– | नन्दुबाई पत्नि चतर्भुज ब्राह्मण | 1/8 | 5200 |
| 4– | –''– | भवानीशंकर पुत्र चतर्भुज ब्राह्मण | 1/8 | 5200 |
| 5– | –''– | शांतीबाई पत्नि नाथूलाल ब्राम्हण | 1/2 | 20800 |
| | | | योगः | 41,600 |

बी– वर्तमान जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 275 कृषको को देय मुआवजा राशि निम्नानुसार हैः–

260गुणा 144– 37440/–

| क.सं. | आराजी संख्या | नाम खातेदार | हिस्सा | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1– | 275 | मन्दिर मुरलीधर जी हिस्सा पूर्ण देवाताओं के खाते | सम्पूर्ण | 37440 |

पत्रावली में प्राप्त रिपोर्ट होने पर प्रार्थना पत्र 251 आर.टी.एक्ट पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार खातेदारी से रास्ता दिये जाने का निवेदन किया तथा रिपोर्ट में नवीन प्रस्तावित मार्ग बिलानाम मंदिर भूमि की प्रोपर्टी होने व अन्य खातेदारान की भूमि होने व उनके पक्षकार नहीं होने से प्रथम प्रस्ताव अनुसार ही रास्ता प्रसस्त करने का निवेदन किया है। जबकि अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपनी बहस जवाब अनुसार करते हुए कहा कि प्रार्थीगण पूर्व से ही बिलानाम जमीन से निकले रास्ते का उपयोग कर रहे है, महज विपक्षीगण को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना मिथ्या तथ्यो को अंकित करते हुए प्रस्तुत

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

है, प्रार्थीगण को हम विपक्षीगण की भूमि से रास्ता लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्यो कि वे कृषि भूमि पर अन्य रास्ते से आ जा रहे है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी व रिपोर्ट रास्ता एवं अन्य दस्तावेज का गहन अवलोकन किया गया, प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो अन्य खातेदारान की भूमि से व मंदिर मुरलीधर की भूमि से जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है वह रास्ता उन्हें पक्षकार नहीं बनाये जाने से कानूनन दिया जाना संभव नहीं होता है, क्यों कि जब तक सभी पक्षकारान को न्यायालय द्वारा सुन नहीं लिया जाता तब तक किसी प्रकार का निर्णय दिया जाना न्यायसंगत नहीं होता है। प्राप्त रिपोर्ट के प्रथम प्रस्ताव मे प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये विपक्षीगण के खातेदारी की भूमि से जो रास्ता चाहा गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ता दिया जाना कानूनन है। साथ ही प्रार्थीगण रास्ते में आने वाली भूमि के लिए विपक्षीगण को मुआवजा राशि देने हेतु पूर्णतया सहमत है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की कृषि भूमि मौजा धूलखेडा प0ह0 बेगूँ की आराजी संख्या 282, 283, 701/281, व 303 कुल रकबा 0.85 हैक्टर पर आने जाने के लिए विपक्षीगण के खातेदारी की कृषि भूमि मौजा धूलखेडा प.ह. बेगूँ की आराजी संख्या 309, 311, 305, 270, 271, 704/279, 299 मे से कुल 664 वर्गमीटर यानि 0.0664 हैक्टर लम्बा व 4 मीटर चौडा रास्ता प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को रास्ते में आने वाली भूमि के मुआवजे की राशि 1,72010/— तहसील कार्यालय में जमा कराने पर उक्त भूमि में रास्ता प्रार्थीगण को उनकी कृषि आराजीयात में आने जाने के लिए राजस्व रेकार्ड में व नक्शे में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। जमाशुदा राशि का भुगतान निर्णय में अंकितानुसार ही सम्बन्धित विपक्षीगण खातेदारान को किये जाने के निर्देश तहसीलदार बेगूँ को दिये जाते है। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 13.02.2026 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गयां।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2026/110 दिनांक :— 20/2/26

प्रार्थना पत्र संख्या 139/2019 व अनवान गोपाल लाल बनाम लक्ष्मण वगै प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 ए आर.टी.एक्ट में न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

सत्यमेव जयते